।। कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः— भ्रनिब्यूरो / स्टोर / 2024—25 157 दिनांक :— 16.08.2024

नीलामी सूचना

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय, जयपुर में नाकारा / अनुपयोगी सामान (जैसे जैरॉक्स, कम्प्यूटर सैट, प्रिंटर, टीवी, यूपीएस, स्कैनर, लैपटॉप, टेलीकॉम उपकरण, टाईपराइटर, लौहे एवं प्लास्टिक से निर्मित विभिन्न आईटम, कार्यालय फर्नीचर एवं अन्य विविध कार्यालय उपयोगी सामग्रियां, जिसका क्रय मूल्य 30.70 लाख है, की नीलामी दिनांक 19.09.2024 को 2.00 पीएम पर ब्यूरो, जे—9, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर पर की जावेगी। ब्यूरो मुख्यालय में उपलब्ध नाकारा सामान को इच्छुक खरीदार / बोलीदाता निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अमानत राशि रू. 50000 /— उक्त दिनांक को दोपहर 1.00 बजे तक नकद जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। अन्य शर्तें कार्यालय से ज्ञात की जा सकती हैं।

16.8.24

पुलिस अधीक्षक— प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निदेशक सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय राजस्थान, जयपुर को 8 प्रतियों में प्रेषित कर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना को न्यूनतम स्पेस में अनुमोदित दरों पर नियमानुसार प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
2 समस्त सदस्य नीलामी समिति, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक— मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर नीलामी समिति का सहयोग करने का श्रम करें।
4 एसीपी / प्रोग्रामर, भ्र.नि.ब्यूरो राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
5 सहायक निदेशक (जनसंपर्क), भ्र.नि.ब्यूरो राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना को अविलम्ब समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
6 कैशियर, भ्र.नि.ब्यूरो राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप निर्धारित समय पर नीलामी स्थल पर उपस्थित रहकर बोलीदाताओं से बयाना राशि, नीलामी राशि, प्राप्त कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7 नोटिस बोर्ड समस्त रेंज / मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान।

पुलिस अधीक्षक— प्रशासन

।। कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।।

नीलामी की शर्तें

1- बोलीदाता को बयाना राशि के रूप में राशि रू. 50000/– (अक्षरे रू. पचास हजार मात्र) नीलामी की दिनांक 19.09.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक नीलामी स्थल पर जमा करवाने होंगे, तत्पश्चात ही बोलीदाता को नीलामी में बोली लगाने हेतु पात्र माना जावेगा। उक्त निर्धारित समय के पश्चात किसी बोलीदाता से बयाना राशि प्राप्त नहीं की जावेगी।

2- सफल बोलीदाता की अमानत राशि को अंतिम बोली से प्राप्त राशि में समायोजित किया जावेगा एवं असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि यथाशीघ्र लौटा दी जावेगी।

3- नीलामी की बोली का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने का अधिकार समिति के पास रहेगा।

4- नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीदाता को नीलामी की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात नीलामी की राशि तत्काल नकद जमा करवरनी होगी एवं नियमानुसार जी.एस.टी. राशि का चालान जमा करवाकर चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। आंशिक भुगतान किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। संपूर्ण राशि जमा कराने के अभाव में सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई बयाना राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

5- नीलामी सामग्री भौतिक रूप से ,जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में नीलाम की जावेगी। प्रपत्र में अंकित नीलामी योग्य सामान टुकडों में भी हो सकता है।

6- नीलामी स्वीकार किये जाने पर सामग्री को बोली स्वीकार करने की तिथि से अगले दिवस तक उठाना होगा।

7- नीलामी की बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी समिति के पास रहेगा।

8- बोली रू. 1000/– के गुणक में लगाई जावेगी।

9- अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन /संशोधन करने /नीलामी कार्यवाही को निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति के पास रहेगा।

10- बोलीदाता द्वारा एक बार सामान प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात नीलाम किए गए सामान के संबंध में कार्यालय किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11- बोलीदाता नीलाम की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नीलामी स्थल– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय, जे– 9, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर पर उपस्थित होकर कर सकेंगे।

12- बोली कार्यवाही के दौरान बोलीदाताओं द्वारा किसी प्रकार का अमर्यादित आचरण, पूलिंग की कोशिश नहीं की जावेगी। ऐसा व्यवहार संज्ञान में आने पर बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर बोली कार्यवाही से बाहर कर दिया जावेगा।

पुलिस अधीक्षक– प्रशासन